न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक – 12/05/2023

क्रमांक रीडर/2023/ 1833

प्रार्थीनी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 बबरीदेवी पत्नी जयरामदास जाति माली निवासी बाडमेर हाल गेहूं तहसील व जिला बाडमेर।		1 जड़ावकंवर पत्नी जबरसिंह 2 खुमानसिंह पुत्र टीलसिंह 3 आसूसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी गेहूं तहसील व जिला बाडमेर 3 तहसीलदार बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

दिनांक– 21/04/2023

राजस्व आवेदन संख्या :– 193/2022

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा गेहूं पटवार क्षेत्र गेहूं तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 360 रकबा 18.08 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक– 12/05/2023

क्रमांक :– रीडर/2023/ 1834–1837

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी गेहूं तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. बबरीदेवी पत्नी जयरामदास जाति माली निवासी बाडमेर हाल गेहूं तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी जड़ावकंवर पत्नी जबरसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी गेहूं तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर